निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श0)

(सं0 पटना 877) पटना, शुक्रवार, 7 अक्तूबर 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2016

सं0 22/नि0सि0(पट0)–03–12/2012/1727—श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, पटना सिटी जब उक्त पद पर पदस्थापित थे (माह फरवरी, 2010 से 2012 तक) तब उनके विरूद्ध पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, करबिगहिया, पटना के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों को हटाने के क्रम में निर्माणाधीन बहुमंजिली अपार्टमेंट के छोड़ दिए जाने के साजिश से संबंधित प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1103 दिनांक 10.10.12 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–12 दिनांक 07.01.13 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही संचालन के दरम्यान श्री श्रीवास्तव दिनांक 30.06.13 को सेवानिवृत हो गए। तत्पश्चात विभागीय अधिसूचना सं0–913 दिनांक 02.08.13 द्वारा श्री श्रीवास्तव को दिनांक 30.06.13 के प्रभाव से मुक्त करते हुए नियम–17 के तहत संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक–100 दिनांक 20.01.14 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री श्रीवास्तव से निम्नांकित बिन्दु पर द्वितीय करण पृच्छा किया गयाः–

''आप यदि पदस्थापन काल के आरंभ में ही उक्त विभागीय बहुमूल्य भू–खण्ड पर अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई करते तो उस भुखण्ड पर अवैध रूप से बहुमंजिती भवन का निर्माण नहीं होता एवं सरकारी सम्पत्ति सुरक्षित रहती। अतएव सरकार की बेशकीमती जमीन को हड़पे जाने की साजिश में आपकी भूमिका परिलक्षित होती है।''

श्री श्रीवास्तव से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में श्री श्रीवास्तव प्रशासनिक विफलता के लिए दोषी पाये गए। साथ ही पाया गया कि उक्त अतिक्रमित भूमि श्री श्रीवास्तव के क्षेत्राधिकार में था। प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1770 दिनांक 10.08.15 द्वारा श्री श्रीवास्तव को ''पाँच प्रतिशत पेंशन पर पाँच वर्षों तक रोक'' का दण्ड संसूचित किया गया तथा विभागीय पत्रांक–1897 दिनांक 24.08.15 द्वारा निलंबन अवधि के सेवा का निरूपण एवं वेतन भत्ता के अनुमान्यता के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–11 (5) में निहित प्रावधान के आलोक में निर्गत नोटिस का श्री श्रीवास्तव से प्राप्त जवाब पत्रांक– शून्य दिनांक 07.09.15 की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी।

समीक्षोपरान्त निलंबन अवधि को अनुचित ठहराने के संबंध में कोई तथ्य नहीं दिये जाने के कारण श्री श्रीवास्तव के अभ्यावेदन दिनांक 07.09.15 को अस्वीकृत करते हुए ''निलंबन अवधि दिनांक 10.10.12 से दिनांक 30.06.12 तक में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जाएगी'' का निर्णय विभागीय अधिसूचना सं0–75 दिनांक 12.01.16 द्वारा लिया गया।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री श्रीवास्तव द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक–शून्य दिनांक 04.11.15 समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दण्ड को समानुपातिक नहीं माना गया है तथा विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है।

उक्त की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोप अत्यंत गंभीर है। विभाग की बहुमूल्य जमीन पर बहुमंजिला इमारत बन गया एवं अधिकारी कुछ नहीं कर पाये। अतः जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते एवं विभाग बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श को मानने के लिए विभाग बाध्य नहीं है। साथ ही संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमति के पर्याप्त आधार है। समीक्षोपरान्त श्री श्रीवास्तव से प्राप्त पुनर्विचार याचिका को अस्वीकृत करने तथा विभागीय अधिसूचना सं0–1770 दिनांक 10.08.15 द्वारा संसूचित दण्ड को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, पटना सिटी सम्प्रति सेवानिवृत से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक–शून्य दिनांक 04.11.15 को अस्वीकृत किया जाता है तथा विभागीय अधिसूचना सं0–1770 दिनांक 10.08.15 द्वारा संसूचित दण्ड (1) ''पाँच प्रतिशत पेंशन पर पाँच वर्षों तक रोक'' को यथावत रखा जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 877–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in